उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– 1/268168/2015 /XXVII(7)/25-E-51521/2023
देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 'उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 (यथासंशोधित वर्ष 2017) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नियमावली, 2006 के नियम–8(1) एवं 8(4) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 (यथासंशोधित वर्ष 2017) (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–8 (1) एवं 8 (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(1)अभिदान की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन रहते हुऐ निर्धारित की जायेगी कि धनराशि 10 प्रतिशत से कम और उसके मूल वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी और पूर्ण रूपयों में व्यक्त की जायेगी। यदि किसी नियमावली /शासनादेश में मूल वेतन की जगह परिलब्धियॉ परिभाषित हों तब तद्नुसार कार्यवाही की जाय। वित्तीय नियम खण्ड पांच भाग–1 के नियम–81 के उपनियम–(3) के अनुसार "सम्पूर्ण कटौतियॉ एक तिहाई भाग की दर से अधिक नहीं हो सकेगी" का भी ध्यान रखा जाय।	8(1) अभिदान की धनराशि अभिदाता द्वारा स्वयं इस शर्त के अधीन रहते हुए निर्धारित की जायेगी कि धनराशि मूल वेतन के 10 प्रतिशत से कम और उसके मूल वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी और पूर्ण रूपयों में व्यक्त की जायेगी। यदि किसी नियमावली/ शासनादेश में मूल वेतन की जगह परिलब्धियॉ परिभाषित हों तब तद्नुसार कार्यवाही की जाय। वित्तीय नियम खण्ड पांच भाग–1 के नियम–81 के उपनियम–(3) के अनुसार "सम्पूर्ण कटौतियॉ एक तिहाई भाग की दर से अधिक नहीं हो सकेगी" का भी ध्यान रखा जाय। परन्तु यह भी कि किसी वित्तीय वर्ष में अभिदान की धनराशि उस वर्ष

में जमा की गयी बकाया अंशदान और वसूल किये गये ब्याज की रकम सहित रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) से अधिक नहीं होगी अर्थात उस वित्तीय वर्ष में रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) की अधिकतम सीमा प्राप्त होते ही अभिदान की कटौती बन्द कर दी जायेगी। इस हेतु न्यूनतम अभिदान की सीमा को शिथिल समझा जायेगा।

8(4)इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि को–

(क)वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम किया जा सकता है,

(ख)वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम कर दी जाय तो वह उपनियम (1) में विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर या अर्द्ध वेतन/अर्द्ध औसत वेतन पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो इस वेतन की धनराशि छुट्टी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या जिसके अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो भी है, अनुपात में होगा।

8(4) इस प्रकार निर्धारित अभिदान की धनराशि को–

(क) वर्ष के दौरान किसी समय एक बार कम किया जा सकता है,

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु जब अभिदान की धनराशि इस प्रकार कम या अधिक कर दी जाय तो वह उपनियम (1) में विहित सीमा से कम या अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलेण्डर मास के भाग के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर या अर्द्ध वेतन/अर्द्ध औसत वेतन पर छुट्टी पर हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का चुनाव किया हो तो अभिदान की धनराशि ड्यूटी पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या जिसके अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो भी है, के अनुपात में होगा।

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 15-01-2025 10:35:51

(दिलीप जावलेकर)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

संख्या– 1/268268/2025 / XXVII(7)/ 25-E-51521/2025

देहरादून दिनांक 15, जनवरी, 2025

अधिसूचना सं0–1/268168/2025 / 25 / XXVII(7)/ E-51521/2023 दिनांक 15, जनवरी, 2025 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

Signed by
Shri Prakash Tiwari
Date: 15-01-2025 13:10:24
(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।